न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 262/2025 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. देवाराम पुत्र अर्जुनराम 2. बाबूराम पुत्र अर्जुनराम 3. मेहराराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट, निवासी बलदेव नगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. रणछाराम पुत्र हुकमाराम 2. तुलछाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट, निवासी बलदेव नगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक मोखाबकला 4. तहसीलदार शिव

उपस्थित :- 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण - श्री बालाराम गोदारा।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 2 - श्री प्रकाश चौधरी।

-:: आदेश ::-

दिनांक : 23.02.2026

संक्षिप्त मे आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 334/300 रकबा 12.4724 हैक्टेयर मौजा बलदेव नगर, तहसील शिव में आया हुआ है, जिसमे प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है तथा रहवासी ढाणी, पानी का टांका एवं मवेशियो के बाड़े बने हुए है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के मौजा बलदेव नगर, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 328/304, 424/303 रकबा ~~क्रमश:~~ 1.9830, 1.5243 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में अन्य वैकल्पिक रास्ते का अंकन नहीं होने तथा स्पष्ट रिपोर्ट नहीं होने पर तहसीलदार शिव से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त हुई। तहसीलदार शिव से प्राप्त पुनः मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 334/300 तक आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य विकल्प होना दर्शाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते अनुसार प्रस्तावित रास्ते की दूरी 56 गट्ठा है जबकि अन्य वैकल्पिक रास्ता अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 63 गट्ठा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पंहुचने हेतु वर्तमान में कोई चलायमान रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रस्तावित मार्ग व वैकल्पिक मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया जाकर आपत्ति पेश की गई। शेष विप्रार्थी [illegible] मौजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में [illegible] तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त पुन[illegible] बरंग लाल प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आव[illegible] प्रावधानों को पूरा [illegible] तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से त[हसी]लदार की मौका रिपो[र्ट सं]लग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.24 19:15:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव,बाड़मेर

रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुए मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार होने, उक्त आवेदन हम विप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने एवं हमारी भूमि को नष्ट करने के आशय से पेश किया हुआ होने तथा उन्हे सूचित नही किये जाने तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होने का कथन करते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पुनः मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं होने पर पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते अनुसार प्रस्तावित रास्ते की दूरी 56 गट्ठा है जबकि अन्य वैकल्पिक रास्ता अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 63 गट्ठा है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत किसी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पंहुच हेतु आत्यांतिक आवश्यकता होने पर निकटतम, लघुतम एवं सुगम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। उक्त आवेदन में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता चाहे जाने पर मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के साथ वैकल्पिक रास्ते के संबंध में स्पष्ट अंकन नहीं होने पर पुनः तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से सबसे निकटतम एवं लघुतम है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु मौजा बलदेव नगर में विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 328/304 रकबा 1.9830 हैक्टेयर में से रकबा 0.0.0437 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 424/303 रकबा 1.5243 हैक्टेयर में से रकबा 0.0.0243 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 424/303 के खातेदार द्वारा पानी की टांकली व अस्थाई छोटा झपरा बनाने के कारण रास्ते में मोड़ दिया गया है। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है तथा धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार होने तथा उन्हे सूचित नहीं किये जाने का कथन किया गया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया, जिससे स्पष्ट हो कि मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई हो। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम विकल्प होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि में वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त पुनः मौका रिपोर्ट के संलग्न निकटतम नक्शा बरंग लाल अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 334/300 रकबा 12.4724 हैक्टेयर मौजा बलदेव नगर, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु तहसीलदार शिव की पुनः मौका रिपोर्ट के संलग्न निकटतम नक्शा बरंग लाल अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 328/304 रकबा 1.9830 हैक्टेयर में से रकबा 0.0.0437 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 424/303 रकबा 1.5243 हैक्टेयर में से रकबा 0.0.0243 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित [illegible] उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार [illegible] प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.24 19:15:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव, बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 23.02.2026 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव बाड़मेर